

वित्त मंत्रालय
संख्या 34 (विनियोग)
ब्याज संदाय

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	158994.93	158994.93	...	171971.13	171971.13	...	190807.47	190807.47
पूंजी	
जोड़		...	158994.93	158994.93	...	171971.13	171971.13	...	190807.47	190807.47
1. ऋण कम करने के लिए पूर्व भुगतान प्रीमियम ब्याज अदायगियां	2048	...	2500.00	2500.00	...	100.00	100.00	...	2400.00	2400.00
2. आंतरिक ऋण पर ब्याज										
2.01 बाजार उधार	2049	...	89500.00	89500.00	...	95822.17	95822.17	...	103136.53	103136.53
घटाइए-उपार्जित ब्याज	0049	...	-5000.00	-5000.00	...	-3800.00	-3800.00	...	-4000.00	-4000.00
		...	<i>निवल</i>	<i>84500.00</i>	...	<i>92022.17</i>	<i>92022.17</i>	...	<i>99136.53</i>	<i>99136.53</i>
2.02 क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	2049	...	3886.48	3886.48	...	5596.47	5596.47	...	7908.81	7908.81
2.03 राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा	2049	...	3255.00	3255.00	...	4820.00	4820.00	...	4584.00	4584.00
2.04 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा	2049	...	2026.00	2026.00	...	2452.00	2452.00	...	2458.00	2458.00
2.05 182 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां	2049	...	503.00	503.00	...	930.00	930.00	...	762.00	762.00
2.06 ऋण का प्रबंध	2049	...	377.14	377.14	...	354.05	354.05	...	356.64	356.64
2.07 अर्थोपाय अग्रिम	2049	...	150.00	150.00	...	344.00	344.00	...	438.00	438.00
2.08 विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियां	2049	...	6198.12	6198.12	...	6198.12	6198.12	...	5532.87	5532.87
2.09 बाजार स्थिरीकरण योजना	2049	...	3700.00	3700.00	...	13382.39	13382.39	...	26615.69	26615.69
घटाइए-उपार्जित ब्याज	0049	-5031.05	-5031.05	...	-12657.55	-12657.55
		...	<i>निवल</i>	<i>3700.00</i>	...	<i>8351.34</i>	<i>8351.34</i>	...	<i>13958.14</i>	<i>13958.14</i>
		...	<i>जोड़</i>	<i>104595.74</i>	...	<i>121068.15</i>	<i>121068.15</i>	...	<i>135134.99</i>	<i>135134.99</i>
3. विदेशी ऋण पर ब्याज	2049	...	4316.88	4316.88	...	3889.53	3889.53	...	4143.17	4143.17
4. लघु बचतों, भविष्य निधियों, आदि पर ब्याज										
4.01 लघु बचत के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	2049	...	18390.79	18390.79	...	17218.62	17218.62	...	17363.79	17363.79
4.02 राज्य भविष्य निधियां	2049	...	5232.96	5232.96	...	5590.86	5590.86	...	5833.72	5833.72
4.03 बीमा और पेंशन निधियां	2049	...	4683.24	4683.24	...	4671.17	4671.17	...	5282.61	5282.61
4.04 गैर-सरकारी भविष्य निधियों इत्यादि की विशेष जमाराशियां	2049	...	10560.00	10560.00	...	10560.00	10560.00	...	9803.54	9803.54
4.05 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2049	...	1070.17	1070.17	...	603.29	603.29	...	2.50	2.50
4.06 यूटीआई को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2049	...	296.25	296.25	...	296.25	296.25	...	296.25	296.25
4.08 अन्य विशेष जमाराशियां	2049	...	971.67	971.67	...	1021.77	1021.77	...	1118.60	1118.60
		...	<i>जोड़</i>	<i>41205.08</i>	...	<i>39961.96</i>	<i>39961.96</i>	...	<i>39701.01</i>	<i>39701.01</i>
5. प्रारक्षित निधियों पर ब्याज	2049	...	1042.83	1042.83	...	1197.31	1197.31	...	1360.91	1360.91
6. अन्य देयताओं पर ब्याज										
6.01 तेल कंपनियों को जारी विशेष बांड	2049	...	3425.86	3425.86	...	3853.42	3853.42	...	5519.84	5519.84
6.02 भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष बांड	2049	...	1314.30	1314.30	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26
6.03 खाद्य कंपनियों को जारी विशेष बांड	2049	629.72	629.72
6.04 अन्य देयताओं पर ब्याज	2049	...	594.24	594.24	...	581.50	581.50	...	598.57	598.57
		...	<i>जोड़</i>	<i>5334.40</i>	...	<i>5754.18</i>	<i>5754.18</i>	...	<i>8067.39</i>	<i>8067.39</i>
कुल जोड़		...	158994.93	158994.93	...	171971.13	171971.13	...	190807.47	190807.47

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) (ग) के अंतर्गत भारत की समेकित निधि पर भारत के रूप में वर्गीकृत है।

2. इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य, दोनों पर ब्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें भविष्य निधियों, सरकार के पास विशेष जमाराशियों के अलावा मूल्यहास और रेलवे जैसे वाणिज्यिक विभागों की अन्य प्रारक्षित निधियों पर देय ब्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केन्द्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

3. यह व्यवस्था बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत निर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों/राजकोषीय हुण्डियों पर ब्याज/बट्टा भुगतान के लिए है, बाजार स्थिरीकरण

योजना के संबंध में दिनांक 25 मार्च, 2004 के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुपालन में प्रावधान अलग से दर्शाया जा रहा है।

4. वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों में हुई वृद्धि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज की अधिक आवश्यकता और तेल विपणन कंपनियों और भारतीय खाद्य निगम को विशेष प्रतिभूतियां जारी किए जाने के कारण है।

5. प्रस्तावित सक्रिय ऋण समेकन योजना के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के संबंध में प्रीमियम के भुगतान के लिए बजट अनुमान 2008-09 में 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।